

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- अडोला

प्रकरण संख्या:- 123/2025

दिनांक:- 1/7/2025

उनवान

श्री शिवचरण पुत्र मोल
गुर्जर निठ अडोला

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का अडोला भू. अ. नि. भगवतगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम अडोला प0 ह0 अडोला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 37 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|---|---|
| 1. | <u>बैंक के नाम में अशुद्ध</u> | <u>स्टेट बैंक ऑफ़ वीकानेर राउड अय्युर शाखा चौथ का बरवाड़ा</u> | <u>स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा चौथ का बरवाड़ा</u> |

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री शिवचरण पुत्र मोल गुर्जर
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0)